

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1984/आषाढ़ 5, 1906
No. 83] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1984/ASADHA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सहाय्य दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 18-ईटीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 26 जून, 1984

विषय :—किरिर्लक और मुलम्मा का निर्यात ।

मिश्रित संख्या 16/1/81/ई-1.—सार्वजनिक सूचना संख्या 16-ईटीसी
(पीएन)/84 दिनांक 19-5-84 के पैरा 2 की ओर ध्यान आकृष्ट
किया जाता है जिसके द्वारा किरिर्लक और मुलम्मा की
सीमित मात्रा के निर्यात की अनुमति भारत के राज्य व्यापार निगम लि. के माध्यम
से, वहां उल्लिखित श्रेणीवार न्यूनतम निर्यात कीमतों की शर्तों के अधीन और शीर्षक

निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा जारी की गई (1) निर्यात कीमत संवीक्षा पची और (2) विशेषता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन दी गई थी।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में आंशिक आशोधन करते हुए यह निश्चय किया गया है कि निर्यात के लिए अनुमय किरिलक और मूलम्मा की सीमित मात्रा की व्यवस्था भारत के राज्य व्यापार निगम लि. के द्वारा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता द्वारा की जाएगी। संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता शैलिक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा जारी की गई (1) निर्यात कीमत संवीक्षा पची और (2) विशेषता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 'पहले आए सो पहले पाए' के आधार पर संबंधित पोत परिवहन शिपों पर पृष्ठांकन करके निर्यात को प्राधिकृत करेंगे।

3. सार्वजनिक सूचना सं. 15-ईटीसी (पीएन)/84 दिनांक 19-5-84 उल्लिखित श्रेणीवार न्यूनतम निर्यात कीमतों और अन्य शर्तों अपरिवर्तनीय रहेंगी।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 18-ETC(PN)/84

New Delhi, the 26th June, 1984

Subject :—Export of Kirilac and Molamma

F. No. 16/1/81/E-I:—Attention is invited to Para 2 of Public Notice No. 15-ETC(PN)/84 dated 19-5-1984 whereby a limited quantity of Kirilac and Molamma was allowed to be exported through State Trading Corporation of India Ltd. subject to grade wise minimum export prices, mentioned therein and subject to production of (i) export price scrutiny slip and (ii) quality certificate, issued by the Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

2. In partial modification of the aforesaid Public Notice, it has been decided that the limited quantity of Kirilac and Molamma allowed to be exported will be administered by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Calcutta instead of State Trading Corporation India Ltd. The Jt. Chief Controller of Imports & Exports will authorise exports by endorsing relevant shipping bills on first-come, first-serve basis subject to

the production of (i) export price scrutiny slip and (ii) quality certificate issued by the Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

3. Gradewise Minimum Export Price and other conditions mentioned in Public Notice No. 15-ETC(PN)/84 dt. 19-5-84 will remain unaltered.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

